

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2024 — माघ 20, शक 1945

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2024

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-19/2015/17-2.— राज्य शासन, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 25-7/2008/नौ/55, दिनांक 04.01.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ाने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन करता है:—

क्र.	पदनाम	समिति में पद का नाम
1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवारन कल्याण विभाग अथवा मिशन संचालक, एनएचएम, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव
5.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
14.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
15.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग/आयुक्त श्रम	सदस्य
16.	कलेक्टर, जिला रायपुर एवं बिलासपुर	सदस्य
17.	रेल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

18.	समाज सेवी संगठन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य/तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत हों :- अ) जन स्वास्थ्य सहयोग, ग्राम गनियारी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ब) राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
-----	--	-------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला नावरिया, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्रमांक एफ 03-19/2015/17-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-1-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला नावरिया, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 22nd January 2024

AMENDMENT NOTIFICATION

No. F 03-19/2015/17-2.— The State Government, hereby partially amending notification No. F 25-7/2008/9/55, dated 04.01.2014, Inter-departmental co-ordination for successful implementation of the National Tobacco Control Program and Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 in the State of Chhattisgarh, to increase the state level coordination committee, is constituted as follows:-

S.N.	Designation	Post in the committee
1.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	Chairman
2.	Additional Chief Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department	Member
3.	Additional Chief Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department	Member
4.	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Health and Family Welfare Department or Mission Director, NHM, Chhattisgarh	Member Secretary
5.	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Home, Jail and Transport Department	Member
6.	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Public Relations Department	Member
7.	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law Department	Member
8.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Agriculture Department	Member
9.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education Department	Member
10.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Technical Education Department	Member
11.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department	Member

12.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Excise Department	Member
13.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Women and Child Development Department	Member
14.	Secretary, Government of Chhattisgarh, School Education Department	Member
15.	Secretary, Government of Chhattisgarh, Labor Department/Commissioner Labor	Member
16.	Collector, District Raipur and Bilaspur	Member
17.	Representatives of Railway Department	Member
18.	Social service organizations involved in health/tobacco control in the state of Chhattisgarh. Should be working in the field of:- A) Public Health Cooperation, Village Ganiari, District Bilaspur, Chhattisgarh and B) State Health Resource Centre, Raipur, Chhattisgarh	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIMLA NAWARIA, Joint Secretary.